कोरोना
अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांकः न्याय/2020/ 2907 दिनांकः 31.03.2020

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

यतः विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसक कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी निषेधाज्ञा न्याय/2020/2579-2602 दिनांक 18.03.2020 एवं संशोधित आदेश 2796-2797 दिनांक 22.03.2020 की निरन्तरता में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशो की अनुपालना मे **मैं अविचल चतुर्वेदी जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा** धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न कार्यो को प्रतिबंध करता हूँ कि :-

1. यह है कि दौसा जिले की सीमा को तत्काल प्रभाव से सील **(District Border Seal)** किया जाता है।
2. यह है कि दौसा जिले से लगे हुए जिले से दौसा जिला क्षेत्र में वाहनो एवं पैदल आने-वाले व्यक्तियो का प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा।
3. यह है कि विशेष आपात व अत्यावश्यक परिस्थितियों में अति० जिला मजिस्ट्रेट, दौसा एवं सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से जिले में आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।
4. यह है कि विद्यमान परिस्थितयों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए यह आदेश धारा 144 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक पक्षीय जारी किया जाकर, सर्व साधारण को दौसा जिले के मुख्य-मुख्य स्थानो पर इस आदेश को चस्पा कर/ध्वनि प्रसार यंत्रो एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिको को सूचित किया जावे।
5. यह है कि निषेधाज्ञा की अवेहलना या उल्लघंन किए जाने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2020 को (मध्य रात्रि) से तत्काल प्रभाव से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

क्रमांकः न्याय/2020/ 2908 दिनांकः 31 .3.2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः-

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस रैंज जयपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, ...राजस्थान राज्य।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को प्रेषित कर लेंख है कि उक्त आदेश की चस्पानगी आप अपने-अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगावकर इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें :-

1. अति जिला मजिस्ट्रेट, दौसा।
2. अति0 पुलिस अधीक्षक दौसा।
3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा/लालसोट/बांदीकुई/सिकराय/महवा/रामगढ पचवारा/नांगल राजावतान।
4. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण ....जिला दौसा।
5. वृत्ताधिकारी दौसा/बांदीकुई/महवा/लालसोट/मानपुर।
6. समस्त तहसीलदार ....जिला दौसा
7. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, दौसा को प्रचार-प्रसार हेतु।
8. निजी सहायक जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर, दौसा।
9. नोटिस बोर्ड।
10. गार्ड फाईल ।

जिला मजिस्ट्रेट
दौसा